IAS Mentorship

With Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2023: Mini Mock Test 5

Syllabus:	• • Polity (Sectional Test, 10 Question) • •	
Name of Candidate	MOHAN MANGANA	
Email Id		
Date		Medium: Hindi / English
Time: 1 Hour & ½ Hours	Start Time:	End Time:

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	15	
7	15	
8	15	
9	15	
10	15	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	125	
Invigilator	Signature	

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260

Scanned with OKEN Scanner

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

Overall Feedback:

Scanned with OKEN Scanner

Overall Feedback.....

Scanned with OKEN Scanner

Q1. Objective resolution which forms the preamble of the constitution and contain the philosophy, the vision and the goal of the constitution. Comment 150 words

उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति 13 दिसंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान की गई जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव की भूमिका

प्रस्तावना निर्माण में

↳ संविधान शक्ति का स्रोत भारत की जनता को मानना।

↳ अल्पसंख्यकों व संवेदनशील वर्गों हेतु सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक जाप की व्यवस्था

↳ भारत को एक संघ के रूप में गणतंत्र देश की स्थापना का प्रस्ताव → तत्कालीन प्रांतों, रियासतों व भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्रों के द्वारा इसी प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव

ने इन प्रावधानों को भी रखा जिनके आधार पर संविधान को मूर्त रूप दिया जाना था-

① सार्वभौमिक मताधिकार - अनु. 326

② शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त - अनु. 50

③ राज्यों के साथ सहकारी संघवाद की स्थापना → अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की बात

④ धार्मिक सहिष्णुता व समतामूलक समाजवाद स्थापना हेतु राज्य के कर्तव्य की बात → DPSP के रूप में स्वीकार

⑤ राज्य की सीमित भूमिका व जनता को मूलाधिकार द्वारा रक्षा प्रदानता जैसे मूल्य उद्देश्य प्रस्ताव आधारित।

इस प्रकार संविधान निर्माण के प्रारंभिक चरण में इसे मूर्त रूप प्रदान करने व भारतीय संविधान लक्ष्यों की पूर्ति में उद्देश्य प्रस्ताव ने आधारभूत भूमिका निभाई

Q2. To make the electoral system of India robust and fair, time has come that Representation of People act need reform. Comment in the context of recent issues. 150 words

जनप्रतिनिधित्व अधि. 1950 व 1951 के तहत चुनाव संबंधी गतिविधियाँ व प्रतिनिधियों, पार्टियों की अर्हता संबंधी प्रावधान शामिल है। परन्तु बदलते चुनावी परिवेश में इनका संशोधन एक आवश्यकता है।

RPA 1950 & 1951 में संशोधन की जरूरत

- राजनीति का बढ़ता अपराधिकरण
  - 17वीं लोकसभा → 45% (ADR रिपोर्ट)
- पार्टियों द्वारा खर्च व चुनावी धांधली में शामिल रहना
- बढ़ती जनसंख्या व वोट संख्या — चुनाव क्षेत्रों का बेहतर सीमांकन जरूरी
- चुनावी फंडिंग → राज्य अथवा निजी हो पर फैसला जरूरी
- प्रतिनिधियों की अर्हता संबंधी मुद्दे
  - ECI को काफी कम शक्तियाँ

↳ पार्टियों के चुनाव चिन्ह व रजिस्ट्रेशन के संबंध में हालिया विवाद → RPA में स्पष्ट प्रावधान जरूरी। उदा० शिवसेना मामला

निम्न कदम उठाने की जरूरत

↳ ECI की शक्तियों को बढ़ावा (II ARC)
  ↳ पार्टी विपंजीकरण, बिना चुनाव याचिका के भी प्रतिनिधि अर्हता जाँच अधिकार

↳ राजनीति में अपराधीकरण पर रोक हेतु प्रावधान (दिनेश गोस्वामी समिति)
  → पार्टियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन
  → गहन मामलों में चुनाव लड़ने पर रोक जरूरी।

↳ वोटर पेनेट्रेशन बढ़ाने व जागरूकता हेतु संस्थागत व आर्थिक सहायता प्रावधान ⇒ चुनावी फंडिंग का हाइब्रिड मॉडल

↳ आंत: पार्टी लोकतंत्र हेतु प्रावधान करना

इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था हेतु पारदर्शिता - जवाबदेही के साथ बेहतर शासन निर्माता तैयार करने में RPA संशोधन महत्वपूर्ण होगा।

Q3. Even after three decades after passage of 74th Constitutional amendment act, most of the Urban Local Bodies (ULBs) were unable to deliver desired municipal governance. Comment. 150 words

74th संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में अनु. 243(Z) जोड़ा गया जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रीकरण हेतु कई प्रावधान करता है। परन्तु 30 वर्षों के बाद भी इनका प्रदर्शन के स्तर मानकीय नहीं रहा जो कि चिंता का विषय है।

कारण → प्रभावी वित्त आपूर्ति अभाव
↳ राज्य सरकारों के अधीन
↳ कराधान व राजस्व स्रोत के साधनों की कमी
↳ स्थानीय स्वशासन इकाईयों के चुनावों में होने वाली दांवपेंच → स्थानीय दलों का प्रभुत्व
↳ राज्य वित्त आयोग की भूमिका सलाहकारी
↳ राज्य चुनाव आयोग का राज्य सरकारों के प्रभाव में कार्य → सीट सीमांकन जैसे कार्य

↳ महिला आरक्षण के बावजूद 'स्टैम्प प्रतिनिधि' के रूप में ही भूमिका

↳ तकनीकी नवाचार व आधुनिक विचारों को अपनाने में यथास्थितिवाद → जैसे ULBs द्वारा कचरा निपटान, सीवेज सफाई जैसे कार्य परम्परागत रूप में ही करना।

जरूरत → प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन
↳ राज्य सरकारों को स्थानीय स्वशासन हेतु कार्य के आधार पर वित्त (15वें वित्त आयोग)

↳ कराधान हेतु स्थानीय स्तर प्राथमिकता जैसे — स्वच्छता, पेयजल, मेले आदि में।

↳ सरकारी मशीनरी हस्तक्षेप कम हो तथा सहयोगी की भूमिका में कार्य

↳ जिला योजना समितियों के नियोजन कार्य हेतु राज्य सरकारों द्वारा वित्त प्रदायगी।

↳ वित्त व राज्य चुनाव आयोग सिफारिशों को SLAs में प्रकाशन व जवाबदेही सुनिश्चित हो।

अतः लोकतंत्र के इन स्थानीय स्तंभ हेतु प्रभावी जवाबदेही व विश्वसनीय बहाली के साथ पर्याप्त स्वायत्तता। SDG लक्ष्यपूर्ति में सहायक सिद्ध होगी।

Scanned with OKEN Scanner

4. Discuss the significance of Parliamentary Privileges mentioned in the constitution. What are issues associated with it? How can these issues be addressed? 150 words

संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनु०105 में किया गया है। यह सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों रूपों में उपलब्ध है।

सामूहिक विशेषाधिकार → संसद के अपनी कार्यवाहियों का प्रकाशन नियंत्रण
↳ सिविल न्यायालय की तरह अधिकार (अवमानना मामलों में)

व्यक्तिगत विशेषाधिकार → सिविल मामलों में संसद सत्र के पहले व बाद से 40 दिन गिरफ्तारी छूट।
↳ संसद में कहे गए भाषणों के प्रति कानूनी जवाबदेही हेतु बाध्यकारी नहीं

विशेषाधिकारों की जरूरत

↳ प्रभावी संसदीय कार्यवाही हेतु जरूरी
↳ प्रशासन व विनियमन द्वारा संसदीय संप्रभुता की रक्षा → पत्रकारों द्वारा फेक पत्रकारिता
↳ सांसदों व विधायकों हेतु नहीं सकारात्मक माहौल

प्रासंगिकता → सुरक्षा प्राप्ति से वैधानिक मर्यादा करना।
↳ शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त संतुलन हेतु आवश्यक

संबंधित मुद्दे → अनु. 14 के समानता अधिकार का उल्लंघन ⇒ संसद विशेषाधिकार कानून अभाव
↳ कार्यवाहियों का प्रकाशन नियंत्रण - अभिव्यक्ति स्वतंत्रता (अनु. 19) के खिलाफ
↳ बढ़ती राजनीतिक अपराधिकता → कानूनी कार्यवाहियों से बचने का रास्ता।

मुद्दों से निपटने हेतु **जरूरत**

- संसदीय सफलता → अधिकतम पारदर्शिता व न्यूनतम गोपनीयता
- क्रिमिनल अवमानना पर ही सजा (विधि आयोग)
- अत्यधिक गहन आरोपों पर स्पीकर मंजूरी से गिरफ्तारी संभव हो।
- संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण होना जरूरी।

इस प्रकार एक प्रभावी व जवाबदेही लोकतंत्र में जनता व प्रतिनिधि सरकार के बीच विशेषाधिकार दूरी ना हो बल्कि सामान्याधिकार व्यवस्था द्वारा विश्वास बहाली हो।

Scanned with OKEN Scanner

5. The Seventh Schedule was inherited from the Government of India Act, 1935 that is a relic of the colonial past. Do you think that the lists in this schedule reflect the complex realities of India at present or need to go for a revisit? Justify your view 150 words

हाल ही में 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एन. के. सिंह द्वारा 7वीं अनुसूची के पुनः मूल्यांकन की बात कही गई जो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता की ओर ध्यान इंगित करती है।

उद्भव → भारत सरकार अधि. 1935 द्वारा

प्रावधान → केन्द्र, राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
(केन्द्र सूची 100 विषय)
(राज्य सूची 61 विषय)

समवर्ती सूची → राज्य - केन्द्र दोनों का अधिकार (52 विषय)

अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को।

उपनिवेशवादी संकीर्णता का प्रतिनिधित्व

↳ राज्य की शक्तियों में निरंतर कमी (42वा CA द्वारा 66 से 61 विषय ही)

↳ समवर्ती सूची विषयों पर भी केन्द्र

संघ की सर्वोच्चता
↳ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास केन्द्रीकरण प्रवृत्ति
↳ आपातकाल (अनु. 352, 356, 360) के दौरान राज्य विधायी, कार्यकारी व वित्तीय शक्तियों का कमजोर होगा।

अतः वर्तमान के अनुसार 7वीं अनुसूची के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है

- अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान (सरकारिया आयोग)
- समवर्ती सूची विषयों पर राज्यों के सलाह बाद ही कानून निर्माण (NCRWC 2000)
- आपातकाल (अनु. 352) के दौरान राज्य की विधायी-कार्यकारी स्वायत्तता बनी रहनी जरूरी → स्थानीय आपातकाल का प्रावधान हो (IIARC)
- राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यों का संहिताकरण जरूरी। (पुंछी आयोग)

इस प्रकार संघवाद के मूलभूत ढाँचे का विनियमन सहकारी संघवाद भावना व कार्यों से ही संभव होगा। यह 7वी अनुसूची में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार संशोधन पर निर्भर करता है।

Q6. "The use of sedition is like giving a saw to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself". In the light of above statement examine the need or relevance of IPC Section 124A. 250 words

लोगों द्वारा वैध तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति घृणा, हिंसा व फेक अवधारणाओं का प्रसार कर उसे अस्थिर करने का प्रयास करना राजद्रोह के तहत आता है। यह IPC 124A के तहत संज्ञेय - गैर जमानती अपराध है।

राजद्रोह धारा की आवश्यकता

↳ बढ़ता आतंकवाद व कट्टरता (नासिक, बैंगलोर में बम धमाकों द्वारा प्रशासन को चुनौती)

↳ फेक न्यूज व सोशल मीडिया वर्चुअल रियलिटी द्वारा 'मास डिस्टरबेंस' करना उदा० CAA के दौरान

↳ संविधान की रक्षा व संप्रभुता - अखंडता का बचाव जरूरी

↳ पुलिस को कानूनी कार्यवाही हेतु प्रावधान व दिशानिर्देश प्रदानता।

↳ चली मोब लिंचिंग व पंजाब - पूर्वोत्तर में अलगाववादी हिंसाएँ

परन्तु इसके बावजूद इसके कई नकारात्मक पक्ष भी हैं जो औचित्य पर सवाल खड़ा करते हैं -

- पुलिस शासन की स्थापना → कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय आंदोलनकारियों के विरुद्ध इस्तेमाल हेतु प्रयोग।
  → रोलेट एक्ट का दूसरा रूप

- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता द्वारा प्रयोग
  ↳ मुख्यतः सिविल सोसायटी व्यक्तियों व पत्रकारों के खिलाफ

- इसमें 'असंतोष' शब्द की अस्पष्टता के कारण पुलिस द्वारा दुरुपयोग

↳ अत्यधिक कम दोषसिद्धि दर → 2.2% (NCRB)
↳ अनु० 19 का हनन

अतः निम्न **कदम** उठाने की जरूरत है

→ 'इनसाइटमेंट', 'असंतोष' जैसे शब्दों की स्पष्टता जरूरी (श्रेया सिंघल वाद 2015)

→ गिरफ्तारी व प्रक्रिया को असंज्ञेय बनाना → वारंट की कॉपी अनिवार्य हो

→ अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग (विधि आयोग)

→ 'बर्डन ऑफ प्रूफ' शिकायतकर्ता पर हो।

→ दोषसिद्धि से पूर्व गिरफ्तारी प्रक्रिया गोपनीय → क्योंकि सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाना।

इस प्रकार बढ़ते आपराधिक मामलों से निपटने और नागरिक सुरक्षा व अधिकारों के बीच संतुलन हेतु IPC 124A में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आज के भारत की जरूरत है।

Q7. Implementation of Uniform Civil Code at present has many prospects, how ever there are many challenges associated with it. Comment 250 words

समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निदेशक तत्वों का भाग है जो कि अनु. 44 के तहत सरकार को सभी धर्मों, जातियों, पंथों हेतु एकसमान कानून प्रक्रिया अपनाने का निर्देश देती है।

VCC की जरूरत – प्रासंगिकता

↳ संवैधानिक जनादेश की पालना

↳ एक देश-एक कानून द्वारा अखंडता व एकता की भावना बलवती

↳ महिला अधिकारों मुख्यतः विवाह, तलाक व संपत्ति संबंधी में सुधार → SDG 5 की लक्ष्यापूर्ति

↳ अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन के विरुद्ध कार्य कर सशक्तिकरण व मुख्य धारा में लाना आसान

↳ राजनीति का धार्मिकरण व सांप्रदायिकता पर लगाम लगेगी।

↳ प्रशासनिक रूप से एक कानून के द्वारा हुई फायदे → स्पष्टता बढ़ोतरी
→ कानूनी प्रक्रिया में तेजी
→ न्याय तक पहुँच आसान

↳ धर्म आधारित न्याय बँटवारे को दूर कर नागरिक आधारित न्याय → कई लूप होल्स को हटाकर मुलाधिकारों की रक्षा

परन्तु कई **चुनौतियाँ** भी शामिल हैं

① अनु. 25 व 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन

② राज्य द्वारा धार्मिक व अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप

③ अल्पसंख्यक वर्गों पर बहुसंख्यक वर्गों

IAS Mentorship
By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

के कानून व इच्छाएँ थोपना

(4) व्यापक सांप्रदायिक दंगों व जान-माल का खतरा

(5) विभिन्न कानूनों के बीच असपष्टता व असहमति अधिक → एकमत करना मुश्किल

जरूरत → UCC के एक व्यापक कानून की जरूरत आज देश को है (सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह बानो, शायरा बानो आदि में भी वकालत)

इसलिए → ड्राफ्ट बिल बनाकर पब्लिक डोमेन में रखना → व्यापक चर्चा जरूरी

↳ सभी हितधारकों को आपस में एकमत करना → मूलाधिकारों व संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए → आवश्यकता बताना

↳ अल्पसंख्यकों के कानूनी हितों का ध्यान रखना जरूरी → विशेष प्रावधान द्वारा

इस प्रकार 'एक देश - एक कानून' वाली एकता के साथ ही व्यावहारिक समन्वय की भी जरूरत ताकि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो।

Q8. Increasing incidents of defection by legislators in many states in recent time are making mockery of democratic representative form of parliamentary system. How it can be checked? Justify your views with suitable explanations and examples. 250 words

दलबदल कानून का प्रावधान 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया जिसमें 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल को गैर-कानूनी बना दिया गया।

प्रावधान → 2/3 से कम सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाने पर सांसद/विधायक सदस्यता रद्द।

→ व्हिप के अनुसार निर्देशन पर कार्य करना बाध्य

→ अयोग्यता निर्धारण का अधिकार सदन पदाधिकारी को।

→ कीहोतो होलोहान वाद 1993 के तहत अयोग्यता निर्धारण पर कानूनी समीक्षा संभव।

परन्तु हाल के समय में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में दलबदल कानून

का कई तरीकों से दुरुपयोग हो रहा है —

① स्पीकर द्वारा अयोग्यता रद्द करने में स्वैच्छिकता → समय-सीमा का बंधन नहीं

② पार्टियों द्वारा जानबूझकर सदस्यों को दलबदल ~~सदस्यों~~ के तहत अयोग्य करवाना → बागी सदस्यों को।

③ सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व विचारों का महत्व खत्म हुआ

④ पार्टी लाइन पॉलिटिक्स की शुरुआत

अतः इस समस्या के शीघ्र सुलझाने की जरूरत है

- सदन पदाधिकारी हेतु निर्णय प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर हो (कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 3 महीने का सुझाव)

Scanned with OKEN Scanner

- पदाधिकारी की अपने निर्णय के प्रति जवाबदेही जरूरी।
- दलबदल सदस्य को अपना पक्ष रखने का अधिकार जरूरी
- II ARC → निर्योग्यता निर्णय प्रक्रिया चुनाव आयोग व राष्ट्रपति / राज्यपाल के अधीन हो का सुझाव → पारदर्शिता बढ़ेगी।
- अन्त: पार्टी लोकतंत्र की जरूरत – RPA – 1951 में संशोधन जरूरी (NCRWC)

इस प्रकार विधायिका सदस्यों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ पार्टी एजेंडे की रक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए एक बेहतर विकल्पों की तलाश आज की जरूरत है।

9. Describe the composition, power and functions of the ECI & Other ECs. In past the executive's role in the appointment process has come under question over transparency. How office of election commission of India can be strengthened? 250 words

संविधान के अनु० 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जो स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु जिम्मेदार संस्थान है।

Composition - एक मुख्य चुनाव आयुक्त दो चुनाव आयुक्त

Powers → SC के जज के समान वेतन - भत्ते
→ हटाने की प्रक्रिया SC जज के समान ही
→ तीनों आयुक्तों की कार्यकारी शक्तियाँ समान हैं।

Functions - • चुनावों की समयतालिका तैयार करना
• चुनावों हेतु समय-समय पर गाईडलाईन्स

जारी करना।

- संसद सदस्यों की निर्योग्यता (अनु. 102) को राष्ट्रपति / राज्यपाल को सिफारिश
- परिसीमन आयोग के साथ मिलकर चुनाव सीट क्षेत्र का सीमांकन निर्धारण
- विभिन्न चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण का निर्णय।

ECI की चयन प्रक्रिया

पूर्व

- राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका की गुप्त चयन प्रक्रिया द्वारा
- कोई योग्यता मानदंड व प्रक्रिया निर्धारित नहीं
- अति गोपनीयता
- विपक्ष का कोई भूमिका नहीं

वर्तमान

→ राष्ट्रपति द्वारा एक समिति - PM + विपक्षी नेता + CJI की सिफारिश

→ पारदर्शिता बढ़ी

→ ECI की स्वायत्तता व स्वतंत्रता बढ़ोतरी

→ निष्पक्षता व न्याय स्थापना

ECI मजबूती हेतु सुझाव

↳ चयन प्रक्रिया हेतु स्पष्ट मानदंड व प्रक्रिया कानून जरूरी

↳ निर्योग्यता संबंधी, पार्टी पंजीकरण रद्द आदि के निर्णय हेतु अधिकार

↳ पार्टी फंडिंग, MCC को कानूनी रूप देकर पारदर्शिता बढ़ाना → ECI की कार्यवाही प्रभावी होगी।

↳ RPA-1950 & 1951 में प्रभावी संशोधन जरूरी

↳ ECI के तीनों आयुक्तों की शक्ति व पदच्युति के समान प्रावधान जरूरी।

↳ तकनीकी व आधुनिक नवाचार द्वारा जनता से संवाद ECI की निष्पक्षता बढ़ायेगा।

जिस प्रकार विधायिका-कार्यपालिका का चुनाव करने वाले संस्थान को मजबूत बनाने हेतु कानूनी व संस्थागत कदम उठाना आज की जरूरत है।

10. Critically examine the constitutionality of The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023. 250 words

हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा अनु॰ 239 A(1) का प्रयोग करते हुए NCTD (संशोधित) अध्यादेश 2023 लाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय की पूर्ति करता है।

प्रावधान

↳ राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) का गठन

↳ NCCSA के सदस्य- दिल्ली मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और मुख्य गृह सेक्रेटरी होंगे।

↳ ऑल इंडिया सिविल सर्विस (AICS) और DANICS के मामलों में ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि LG को सिफारिश।

↳ LG के लिए ~~सिफारिश~~ सिफारिश बाध्यकारी नहीं तथा पुनर्विचार हेतु भेजने का अधिकार

प्रावधान से जुड़े मुद्दे

① न्यायपालिका के पूर्व निर्णय को चुनौती
↳ सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस ही केन्द्र के अधीन

② चुने हुए प्रतिनिधि (CM) के निर्णयों पे नौकरशाहों के बराबर वोटिंग अधिकार → NCCSA का निर्णय वोटिंग आधार पर।

③ अनु. 239 A(9) की लिस्ट II का अतिक्रमण → सिविल सेवा मामलों में LG को अनधानि शक्ति द्वारा

④ केन्द्रीय प्रभुत्व स्थापना की कोशिश

परन्तु यह आरोप पूर्णत: परिदृश्य को स्थापना नहीं करते अध्यादेश के निम्न [मापने] है → ① सिविल सेवाओं

का राष्ट्रीय राजधानी में तार्किकता
↳ पोलिंग व ट्रांसफर में निरंतरता हुई।

(2) दिल्ली सरकार व केन्द्र के बीच बेहतर समन्वय हेतु प्राधिकरण निर्माण
↳ अध्यक्षता – CM द्वारा ही।

(3) LG की शक्तियों को पूर्व स्थिति की बजाय प्रभावी बनाया गया → तीव्र निर्णय प्रक्रिया हेतु जरूरी।

(4) राजधानी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सिविल सेवाओं में पारदर्शिता व निष्पक्षता लाने हेतु जरूरी।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के दोनों पक्षों का विश्लेषण के बाद यह सुझाव है कि इसे पुनः व्याख्यापित करते हुए दिल्ली सरकार से भी सुझाव की जरूरत है; साथ ही अध्यादेश की बजाय कानून रूप में इसका आना बेहतर पारदर्शिता व विश्वास बढ़ायेगा।

Scanned with OKEN Scanner